बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

<u>—ः अधिसूचना ः–</u>

सं०सं०—8/विविध—10—74/2017...../गृ०आ०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक—सह—पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 55 एवं 94 में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ। –

- 1. यह नियमावली बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।
- 2. यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी ।
- 3. यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।
- 2. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 5(4) के वाक्य— "इस पत्र में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे।" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—

"इस पत्र में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक—40 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक—36.5 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर—1 के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक—34 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक—32 प्रतिशत होगा।"

3. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 5(4) के वाक्य— "उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—

"लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60 प्रतिशत प्रश्न पूछे जाएंगे तथा शेष 40 प्रतिशत प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित (20 प्रतिशत) और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट—पुर्जे, लुब्रिकेटिंग और रख—रखाव इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाली यांत्रिक एवं तकनीिक त्रुटियों से संबंधित (20 प्रतिशत) प्रश्नों के विषय को सिम्मिलित किया जाएगा।"

- 4. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 6(2) खण्ड (ii) के 'क' एवं 'ख' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—
- '(ii) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा—

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक—40 (चालीस) होंगे, जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :—

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	40
1 मिनट तक	5 गियर	32
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	24
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	16

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक—40 (चालीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिए जायेंगे :—

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	40
1 मिनट तक	5 गियर	32
1 मिनट से अधिक परन्तु 2 मिनट तक	5 गियर	24
2 मिनट से अधिक परन्तु 3 मिनट तक	5 गियर	16

- 5. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 6(2) खण्ड (iii) एवं (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—
 - (iii) विलोपित।
 - (iv) विलोपित।
- 6. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 6(2) खण्ड (v) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—
- "(v) उपर्युक्त नियम 6 के उप नियम(2) के खण्ड (ii) (क) एवं (ii) (ख) में अर्हक अंक न्यूनतम 16 (सोलह) होंगे तथा खण्ड (ii) (ग) में उल्लेखित जाँच अनिवार्य नहीं होगा। इसमें भारी मोटर वाहन (HMV) चालन अनुज्ञप्ति धारी ही भाग ले सकेंगे। प्राप्त अंक अभ्यर्थी के मेधा अंक में जोड़े जाएँगे। उपर्युक्त उप नियम(2) के खण्ड (ii) (ग) को छोड़कर सभी जाँचों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।"
- 7. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय—समय पर यथासंशोधित) के नियम 7 (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा—
 - ७ (४) विलोपित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 ∕ – (किरण माला पँवरिया)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :—8 / विविध—10—74 / 2017 गृ0आ0— / पटना, दिनांक— .2024 प्रतिलिपि:— ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतू प्रेषित।

ह0 / – सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक :-8 / विविध-10-74 / 2017 गृ0आ0- / पटना, दिनांक-प्रतिलिपि :-राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

ह0 ∕ -

सरकार के अवर सचिव

/ पटना, दिनांक-ज्ञापांक :-8/विविध-10-74/2017 गृ०आ०-प्रतिलिपि:-अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

ह0 / ∸

सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक :-8/विविध-10-74/2017 गृ०आ०- ४०० // पटना, दिनांक- ७१/२/ .2024 प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत् प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Government of Bihar Home Department (Police Branch)

Notification

No.8/Vividh-10-74/2017.H.P......In exercise of power conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India read with Section-55 and Section 94 of Bihar Police Act, 2007, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to make amendment in 'Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended form time to time)':-

- 1. Short title, extent and commencement.-
 - (1) These Rules shall be called the "Bihar Police Driver Cadre (amendment) Rules, 2024".
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It will come into force from the date of publication in the Gazette.
- 2. The sentence of rule 5 (4) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time)- "Candidates securing less than 30 marks in this paper shall be declared unsuccessful to appear for physical eligibility test." shall be substituted by the following-

"In this paper minimum qualifying marks for UR Candidates-40 Percent, Minimum qualifying marks for BC Candidates-36.5 Percent, Minimum qualifying marks for EBC Candidates-34 Percent and Minimum qualifying marks for SC/ST and Women Candidates will be 32 Percent."

3. The sentence of rule 5 (4) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time)- "In the said paper, questions related to the general knowledge and current issues will asked." shall be substituted by the following-

In the syllabus of written examination, 60% questions related to general knowledge and contemporary issues will be asked and in the remaining 40% questions; 20% questions shall be related to Motor Vehicle Act and other relevant Rules and traffic signs and signals and 20% questions shall be related to General knowledge of various parts of different vehicles, Lubricants and their maintenance and Mechanical & Technical faults etc.

- 4. 'A' and 'B' of Rule 6 (2) Clause (ii) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following.
- (ii) Marks will be determined for driving jeep and car in the above testing track in the following manner:-
- (a) Maximum 40 marks will be for test of efficiency of jeep driving, which will be given in following manner:-

Time	Gear Change	Marks
Up to 1 minute	3 gear	40
Up to 1 minute	5 gear	32
More than 1 minute but up to 2 minute	5 gear	24
More than 2 minute but up to 3 minute	5 gear	16

(b) Maximum 40 marks will be for test of efficiency of Car driving, which will be given in following manner:-

Time	Gear Change	Marks
Up to 1 minute	3 gear	40
Up to 1 minute	5 gear	32
More than 1 minute but up to 2 minute	5 gear	24
More than 2 minute but up to 3 minute	5 gear	16

- 5. Rule 6(2) clauses (iii) and (iv) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following-
 - (iii) deleted
 - (iv) deleted
- 6. Rule 6(2) clauses (v) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following-
- "(v) The qualifying marks in clause (ii) (a) and (ii) (b) of sub-rule (2) of rule 6 above shall be minimum 16 (sixteen) and the tests mentioned in clause (ii) (c) shall not be mandatory. In this Only holders of Heavy Motor Vehicle (HMV) driving license will be able to participate. The marks obtained will be added to the merit score of the candidate. It shall be mandatory to obtain minimum qualifying marks in all tests except clause (ii) (c) of sub-rule (2) above."
- 7. Rule 7(4) of the Bihar Police Driver Cadre Rules, 2017 (as amended from time to time) shall be substituted by the following-

(4) deleted

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 ∕ −

(किरण माला पँवरिया) सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :—8 / विविध—10—74 / 2017 गृ0आ0— / पटना, दिनांक— .2024 प्रतिलिपि:— ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेत प्रेषित।

ह0 ∕ −

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :—8 / विविध—10—74 / 2017 गृ0आ0— / पटना, दिनांक— .2024 प्रतिलिपि :—राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, विहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पटना / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

ह0 / – सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक :—8 / विविध—10—74 / 2017 गृ0आ0— / पटना, दिनांक— प्रतिलिपि:—अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना। / पटना, दिनांक–

.2024

ह0 ∕ −

सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक :-8/विविध-10-74/2017 गृ0आ0- 80° 1/2 पटना, दिनांक- 19/3/.2024 प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव